

The House reassembled after lunch at forty-eight minutes past two of the clock.

Mr. Deputy Chairman in the Chair.

THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1974

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, we shall take up the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1974, for consideration. Yes, Mr. Mohsin.

श्री राजनारायण : श्रीमान्, बापको जनसंगी होमी कि श्री मनोराम बागड़ी ...
श्री उप-सभापति : किन पर बोले रहे हैं ? बिना पर कहना है तो कहिये ।

SHRI LAL K. ADVANI (Delhi) : On a point of order, Sir.

श्री राजनारायण : श्रीमान्, मेरा स्वप्न का प्रश्न है । श्री मनोराम बागड़ी ने हमार सदनियों के साथ विरुद्ध कर लिये मये हैं ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have d Mr. Mohsin to move the Bill.

SHRI LAL K. ADVANI : Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Do you want to raise the point of order about the Bill ?

SHRI LAL K. ADVANI : Sir, may I draw your attention to rule 64 of the Rules of Procedure? It says that a Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law.

Now, Sir, the hon. Minister proposes to move a motion for discussing the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1974. I have gone through it and I find that even though there is the Statement of Objects and Reasons appended to it and even though the memorandum regarding delegated legislation is appended to it, there is no financial memorandum attached to

it Sir, I would like to point out that 'his Bill involves the creation of a new statutory post, namely, that of Director of Municipal Elections. This Bill also provides that the Municipal Corporation of Delhi will have to prepare separate electoral rolls of its own instead of using the existing ones which are framed by the Election Commission and which are used for the Lok Sabha and Metropolitan Council elections.' The Corporation of Delhi does not want to proceed on the basis of the existing rolls. This involves an expenditure of lakhs of rupees.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) : Is there any difference in Qualifications?

SHRI LAL K. ADVANI : I have to go into the merits of the case. It is wrong. I believe the decision is motivated.

I demand that these are items which involve expenditure and yet the House is not told what the expenditure involved is. Un-me, the Bill cannot be continued. On this there have been clear rulings in our legislatures that unless a financial memorandum is provided, the discussion cannot take place.

SHRI MAHAVIR TYAGI : I think the consideration may be postponed, Sir.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : Sir, this Bill, of course, does not put any burden on the Consolidated Fund of India as the additional expenditure on account of setting up a separate election machinery to conduct the municipal elections and preparation and maintenance of separate electoral rolls for municipal wards as provided in the Bill will be met from the municipal funds as provided in section 105 of the Delhi Municipal Corporation Act.

SHRI MAHAVIR TYAGI : Is it not extravagance?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That is a separate matter.

SHRI F. H. MOHSIN : That is a different matter altogether. I am only reply-

ing to the point raised by Mr. Advani. Sir, as the Central Government does not give any general grant-in-aid or subvention to the Municipal Corporation of Delhi, no expenditure from the Consolidated Fund of India is involved in this case. Hence there is no necessity...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I think it is all right.

SHRI LAL K. ADVANI : Is it all right? I would like you to consider it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have heard your argument.

SHRI LAL K. ADVANI : I would like you to consider the point on legal aspects. It is going to be a convention. Is it a tip-se on the part of the Government that . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It is all right, Mr. Minister, you may move the Bill.

SHRI F. H. MOHSIN : Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 be taken into consideration."

Sir, as the hon'ble Members are aware, the last elections to the Municipal Corporation of Delhi were held in May, 1971 and the term of the office of the present Councillors will expire in May next year. According to the existing provisions of the law, upon the completion of each census, the number of Councillors in the Corporation is to be determined subject to the maximum of one hundred, on the scale of one Councillor for not more than 20,000 of the population. As the population of the areas falling within the jurisdiction of the Corporation has gone up to 37.07 lakhs, it is no longer possible to stick to the criterion of one Councillor for every 20,000 of population. With a view, therefore, to obtain uniformity in the representation on the basis of population in the various wards, it is proposed to amend the Act, so as to provide that as far as practicable, the population of each ward shall be the same.

Further, Sir, the Act provides that the Parliamentary electoral roll relating to the area comprised within a particular ward should be adopted for purposes of elec-

tions to the Municipal Corporation. The present electoral roll has been drawn up with 1st January, 1971 as the reference date and this roll will be totally out of date by the time the next elections take place. It is not possible for the Election Commission to undertake revision of the Parliamentary electoral rolls, specially for the purpose of the conduct of the municipal elections. The Election Commission have no doubt since ordered preparation of electoral rolls for the next Parliamentary elections with reference date as 1st January, 1975 but as the hon. Members are aware, the Parliamentary elections are normally held every five years while the municipal elections are held every four years and are thus not co-terminus. It has, therefore, become necessary to unlink this provision from the Parliamentary electoral roll by giving power to have a separate roll for election to the Corporation. The responsibility for the conduct of elections to the Corporation as well as at present vests in the Commissioner of the Corporation. It will be of great advantage if this responsibility and also the task of preparing and revising the electoral rolls for the Municipal Corporation elections from time to time, is vested in an officer to be designated as the Director of Municipal Elections. Clauses 5 and 6 of the Bill seek to achieve these objectives.

Sir, apart from this consequent upon the revision of scales of pay of certain posts in the Corporation as a result of the Third Pay Commission's recommendations and Sivasankar Committee's report a large number of posts which were not intended to be placed within the consultation range of the Union Public Service Commission for purposes of their creation and making appointments thereto, would come within the Commission's purview and increase the work of the Commission. This would also result in the curtailment of the powers of the Municipal Corporation in these respects. Opportunity is therefore being taken to amend the Act suitably in respect of these matters also.

Sir, I commend this Bill for the acceptance of the House.

The question was proposed.

श्री शुरशोद आलम खान (दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन जब सन् 1957 में कायम की गई थी तो उससे बड़ी-बड़ी उम्मीदें और बड़ी-बड़ी आशाएं लगाई गई थीं। इसका कारण यह था कि दिल्ली शहर जो हिन्दुस्तान का दारुसलतनत है, न सिर्फ हिन्दुस्तान का दारुसलतनत है, बल्कि पूरे मुल्क का दिल कहा जा सकता है, इसलिए इस कारपोरेशन से बड़ी आशाएं थीं, बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी वे उम्मीदें पूरी नहीं हुई और कारपोरेशन उन उम्मीदों का पूरा नहीं कर सका। आप भी दिल्ली के लोगों को उसी तरह की परेशानियां हैं जिस तरह की परेशानियां कारपोरेशन बनने से पहले थीं। मैं तो यह कहूंगा कि लोगों की उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब हमें देखना यह है कि इसकी वजह क्या है? मैं समझता हूं कि दरअसल दिल्ली कारपोरेशन बद्किस्मती से पार्टी पोलिटिक्स का शिकार हो गई है। होता तो यह चाहिए कि सिविल सर्विसिज के अन्दर कमी भी पार्टी पोलिटिक्स नहीं आना चाहिये और दिल्ली शहर के हरेक नागरिक को वे तमाम सुविधाएं और सहूलियतें मिलनी चाहियें जो कि एक शहरी को मिलनी चाहिये और दिल्ली कारपोरेशन को ये सुविधाएं देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिये। दिल्ली कारपोरेशन उस कोशिश में कहां तक कामयाब हुई है, यह हमारे लिए सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि अगर दिल्ली की जनता से पूछा जाये तो उनका जबाब होगा कि इसमें बहुत कमी रही है और इस कमी को कारपोरेशन आज तक पूरा नहीं कर सका है।

अब सवाल यह पैदा होता है-कि जो तरमीमी बिल यहां पर पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि उसकी बहुत जरूरत थी और उसकी मैं तारीफ करता हूं। जब यह पाबन्दी लगी हुई है कि हर वार्ड में ज्यादा से ज्यादा 20 हजार की आबादी होगी और आज जब दिल्ली की आबादी बढ़ गई है, तो इस बिल को लाना यहां पर बहुत जरूरी हो गया है। यह भी जरूरी है कि जब आबादी बढ़ जाय तो उस आबादी का डिस्ट्रिब्यूशन भी ठीक होना चाहिये और उसको

बराबर-बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिये ताकि चुने हुए मेम्बरों को अपने-अपने वार्ड के अन्दर लोगों की परेशानियों को दूर करने में मदद मिल सके। मैं यह मानता हूं कि दिल्ली कारपोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी कारपोरेशन है। इसके अन्दर बहुत बड़ा रकबा है। इसके अन्दर केवल शहरी इलाका ही नहीं है, रूरल एरियाज भी इसमें हैं। इस म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अन्दर जो वार्ड्स हैं उनमें कुछ को अगर देखा जाये तो पता चलेगा कि इस कारपोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन दिल्ली में ऐसे वार्ड्स भी हैं जिनको अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि दिल्ली कारपोरेशन को अपनी जिम्मेदारियों का अहसास ही नहीं है। इसमें खास तौर से वे इलाके आते हैं जिनको दिल्ली का दिल कहते हैं, जो पुराना शाहजहाँगढ़ है, जिसको वाल्ड सिटी कहते हैं, ये इलाके इसमें आते हैं। यहां पर न तो सफाई का इंतजाम है, ना पानी का इंतजाम है और न ही बच्चों के लिये स्कूलों की बिल्डिंगें ही हैं। यहां पर किसी किस्म की कोई सहूलियत नहीं है। मैं यह यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनके हकों के मुताबिक उनको जो सहूलियतें मिलनी चाहियें, वे नहीं मिल रही हैं।

3PM

और अगर यह हकतल्फी किसी सियासी नजरिये के तहत है तो उससे ऊपर उठना चाहिये। जैसा मैंने पहले अजं किया, सिविल सर्विसिज रिसपांसी-बिलिटी को हल करने के लिये सियासत से, पोलिटिक्स से, ऊपर जाना चाहिये। जो मुल्की मामलात होते हैं, जो कौमी मामलात होते हैं, उनमें तो सियासी आधार पर, सियासी बुनियाद पर आप बहस कर सकते हैं लेकिन सिविल मामलात में इस किस्म की चीजें कभी दमियान में नहीं लानी चाहियें।

दूसरी तरमीम यह है कि डाइरेक्ट इलेक्शन हमारी म्यूनिसिपल कारपोरेशन का हो। मैं समझता हूं यह बहुत ही मुनासिब कदम है, यह बहुत ही जरूरी चीज थी इसलिये कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन का इलेक्शन एक मुसलसज आपरेशन है। उसकी दिक्कतें अपनी दिक्कतें हैं, उसके खुद के

[श्री खरशोब आलम खान]

मामलात ऐसे मामलात हैं जिसमें खास मशीनरी चाहिये जो खुद म्यूनिसिपल कारपोरेशन की हो जिसको वह हर तरह से इस्तेमाल कर सके, ज्यादा से ज्यादा तबज्जह दे सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोट देने का हक मिल सके। आज क्या होता है कि जब इलेक्शन के वक्त हम वहां इलेक्टोरल रोल को देखते हैं तो बहुत से इलाके और खास तौर पर ऐसे इलाके जिनमें खास-खास किस्म के लोग रहते हैं, पूरे इलाके के इलाके साफ होते हैं, उनमें बोटों के नाम नहीं होते हैं हालांकि वे मुद्दों से रहते आए हैं, उनकी पिछली कई नसलें उन इलाकों में रहती चली आई हैं। नाम बिल्कुल काट दिये जाते हैं, उनके नाम नहीं होते हैं, और जब—किसी सूत से गहम उनके नाम ला सकते हैं न पैदायशी हक जो उन का है वह दिला सकते हैं, तो ऐसी हालत में जब हमारा डाइरेक्टर आफ इलेक्शन मौजूद रहेगा तो यकीनन इस किस्म की शिकायत को आसानी से दूर किया जा सकेगा और जो लोगों का हक है कि बोट देना और बोट दे कर अपने नुमायंदे चुनना, उनका यह हक जरूर मिल सकेगा।

मैं इस मिलमिले में यह भी अर्ज कर दूँ कि जो दूसरा तरमीम है कि यू०पी०एस०सी० से जो कंसल्टेशन किया जाए, जो मन् 1957 के मुताबिक प्राविजन था कि मिनिमम सैलरी जिस ग्रेड में 350 रु० हो वह यू०पी०एस०सी० को रेफर किया जाता था, अब चूंकि ग्रेड रिवाइज हो चुके हैं लिहाजा यह भी जरूरी है कि इसमें तरमीम की जाए और जो मुनासिब ग्रेड अब भुकरेंर किये गए हैं उसके मुताबिक यह हक रिवाइज किया जाए। इस मिलमिले में भी बहुत सी बदलवानियां हुई हैं, बहुत से तरीकेदार ऐसे इस्तेमाल किये गए हैं जो किसी सूत से सही नहीं कहे जा सकते। होना यह चाहिये था कि ऐसी तमाम केटेगरीज, ऐसी तमाम सर्विसेज जिनमें 350 रु० से ऊपर की जगहें खाली होती हैं वो यू०पी०एस०सी० को रेफर की जाए और यू०पी०एस०सी० के मशविरे से उस पर तकररी की जाए लेकिन होता क्या है कि उसको मुलतवी किया जाता है, उसको ठाला जाता

है, उसमें किसी सूत में देरी लगाई जाती है और देर लगाने के साथ-साथ बहुत सी ऐसी मिसालें सामने आई हैं कि यू०पी०एस०सी० की जो रिक-मण्डेशन थी, यू०पी०एस०सी० का जो मशविरे था, जो रिकमण्डेड कैडिडेट थे उनकी तकररी नहीं की गई, उनको नजरअंदाज कर दिया गया। मैं समझता हूँ, यह बहुत ही ना-मुनासिब तरीका है, इसको खत्म होना चाहिये, इसको रोकना चाहिये।

साथ में यह भी कहा जाता है—म्यूनिसिपल कारपोरेशन की माली हालत बहुत बुरी है, उसकी फाइनेशियल कंडीशन बहुत खराब है। यह भी अक्सर हुआ है कि फाइनेशियल कंडीशन खराब होने की वजह से लोगों की तनख्वाह देर से मिलती है, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती, लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जाती और वहां यह लिया जाता है कि बहुत सा रुपया न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के जिम्मे है और वह रुपया वापस नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ इसकी जरूरत है कि सही मालूमात होनी चाहिये कि जो क्लेम दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने 4 करोड़ रु० से ज्यादा का कर रखा है वह कहां तक सही है? इसलिये कि एन०डी०एम०सी० के हिसाब के मुताबिक वह चन्द लाख से ज्यादा बकाया नहीं है और इस तरह से इस झगड़े में हम कब तक पड़े रहेंगे। इससे इम्प्लायीज को कब तक नुकसान पहुंचता रहेगा।

इस मिलमिले में यह अर्ज कर दूँ कि दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन का जो सफाई का महकमा है उसमें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने सफाई का बिल्कुल काम ही बन्द कर रखा है। उनके जितने सफाई के ट्रक हैं, कूड़ा-करकट ले जाने के ट्रक हैं उनमें 70 फीसदी ट्रक ऐसे हैं जो मुद्दत से वर्कशाप में पड़े हैं, उनकी तरफ कोई तबज्जह नहीं दी जाती है। तबज्जह दी जाती है तो ऐसा—मालूम होता है उनके पास पैसा नहीं है उनको ठीक किया जा सके, उनके पास पैसा नहीं है कि डीजल खरीदा जा सके, उनके पास पैसा नहीं है कि पुर्जे खरीदे जा सकें और फिर उनको सर्विस में लाया जा सके। यहां तक भी हुआ है कि बहुत से लोगों ने ट्रक किराये पर देने से इन्कार कर दिया इसलिये कि उनका

पेमेंट नहीं किया जाता था, इसके नतीजे के तौर पर लोगों को सख्त परेशानी होती है, कूड़ा-करकट नहीं हटाया जाता, गन्दगी नहीं हटाई जाती, सफाई नहीं होती। इसमें सफर कौन करते हैं? किन को नुक्सान पहुंचता है? जो मजदूर हैं, जहां पर थिक्ली पापुलैटेड इलाके हैं। पुरानो दिल्ली का जो इलाका है, जो वाल सिटी का इलाका कहा जाता है, वहां पर कोई सफाई नहीं होती है और न वहां पर कोई इंतजाम होता है। इस तरफ तबज्जो करना बहुत जरूरी है क्योंकि सब से जरूरी चीज तो पानी, बिजली और रोशनी मुहैया करना है।

कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम यह उम्मीद करते थे कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन हमें देगा, लेकिन हमें ये चीजें नहीं मिल सकी और इस तरह से म्यूनिसिपल कारपोरेशन का होना या न होना हमारे लिये कोई फायदेमन्द साबित नहीं हुआ।

इसी तौर पर मैं एक और चीज की तरफ अपनी तबज्जो दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने एक रिम्यूनेरेटिव प्रोजेक्ट कायम करने की कोशिश की और उसका यह ख्याल था कि इस प्रोजेक्ट से उसको काफी माली फायदा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और डी०डी०ए० ने फराकदिली से जमीन दी और यह जमीन इसलिये दी ताकि वह उससे फायदा उठाए और कारपोरेशन को एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया हो जाए। हुआ यह कि उस जमीन का ज्यादा हिस्सा नीलाम कर दिया गया और नीलाम करने के बाद उससे जो रकम हासिल हुई जो कुछ रुपया हासिल हुआ, वह सब रुपया खर्च कर दिया गया और वह रुपया उस मद पर खर्च कर दिया गया जिसके लिये यह आयोज नहीं था। मैं समझता हूँ कि इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि किसने इस जमीन का नीलाम करवाया, क्यों करवाया और किस तरह से किया?

इसी तरह से म्यूनिसिपल कारपोरेशन की ओर से बहुत ज्यादा अखराजात किये जा रहे हैं जबकि जरूरत यह है कि आज हर मुहकमें में अखराजात कम होने चाहिये। म्यूनिसिपल कारपोरेशन इन बातों की तरफ तो ख्याल नहीं कर रहा है और

वह बहुत सा रुपया आज स्टैच्यू लगाने में खर्च कर रहा है और बहुत सा रुपया इसी तरह के कामों में वह खर्च कर रहा है। ये इस प्रकार के अखराजात हैं जिन्हें मुल्तवी किये जा सकते हैं जिन्हें टाला जा सकता है। इस तरह के अखराजातों के बदले म्यूनिसिपल कारपोरेशन दवाइयों में ज्यादा खर्च कर सकता है क्योंकि आज अस्पतालों में दवाइयों की गलत जरूरत है। आज वहां पर डाक्टर की जरूरत है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सहूलियत पहुंचाने की जरूरत है न कि आज जगह-जगह पर स्टैच्यू पर खर्च करने की जरूरत है।

इसी तरह से जहां एजुकेशन का सवाल है, मैं समझता हूँ म्यूनिसिपल कारपोरेशन के पास प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है। आज देखने में यह आता है कि प्राइमरी स्कूलों की तरफ तो तबज्जो नहीं दी जाती है, प्राइमरी टीचरों को स्कूलों में नहीं रखा जाता है, प्राइमरी स्कूलों की इमारत नहीं बनाई जाती है, वहां पर पढ़ने वालों के लिये न बैठने को कुर्सियां हैं, न मेज है और न ब्लैक बोर्ड हैं, लेकिन इन सब के बदले नर्सरी स्कूल खोले जा रहे हैं जब कि नर्सरी स्कूल खोलने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज हालत यह है कि प्राइमरी स्कूल तो अच्छी तरह से चल नहीं रहे हैं, उनके लिये कोई सामान नहीं है और न पढ़ाने का कोई इंतजाम है, लेकिन नर्सरी स्कूल चलाए जा रहे हैं जबकि उनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि नर्सरी स्कूलों को चलाने के पीछे कोई खास मकसद है, अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइमरी स्कूलों को चलाने के बारे में पूरी तरह से इंतजाम किया जाता। प्राइमरी स्कूल ही हमारे बुनियादी स्कूल हैं जहां पर बच्चों का कैरेक्टर बनता है, जहां पर सब से पहिले बच्चे तैयार होते हैं। अगर हम उन बच्चों की तरफ पूरी तौर से तबज्जो नहीं देंगे तो आगे चलकर बच्चे किस तरह से पढ़ लिख सकेंगे और काबिल बन सकेंगे?

इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे यह मालूम हुआ है कि कारपोरेशन की तरफ से दरखास्त 4 करोड़ रुपया कर्ज देने के बारे में दी गई है क्योंकि कारपोरेशन के

[श्री खुरशीद आलम खान]

पास रुपया नहीं है। कारपोरेशन से यह मातूम किया जाना चाहिये कि यह 4 करोड़ रुपये की उसको क्यों जरूरत पड़ गई है? क्या कारपोरेशन की अपनी आमदनी नहीं है? क्या उनके पास इतना रुपया नहीं है? अगर है, तो फिर क्या हुआ पहिले तो यह देखना होगा कि कारपोरेशन को कितना हाउस टैक्स वकाया वसूल करना है और कितना टर्मिनल टैक्स वकाया पड़ा हुआ है। इस तरह के कितने और टैक्स वकाया पड़े हुए हैं, जो अभी तक वसूले नहीं गए हैं। अगर ये सब वकाया टैक्स वसूल कर लिये जाते और इसके बाद भी उसको रुपयों की जरूरत होती तो उसको दरखास्त देना चाहिये वरना नहीं देना चाहिये। टर्मिनल टैक्स की वसूलयाबी भी नहीं हो रही है, हाउस टैक्स की वसूलयाबी भी नहीं हो रही है। उसकी क्या वजह है मैं नहीं कह सकता। कोई खास वजह होगी जिसकी वजह से यह नहीं किया जा रहा है। लेकिन और कारपोरेशनों में ऐसा क्यों नहीं होता? लाखों रुपए वकाया है और हम दूसरों से कर्ज मांगते हैं। मैं समझता हूँ कि वह कर्जा नहीं देना चाहिये। जब तक एक-एक पाई वसूल न हो जाय कर्जा नहीं देना चाहिये। यह भी देखना चाहिये कि जो कर्जा मांगा जा रहा है वह किन चीजों के लिये, किन प्रोजेक्ट्स के लिये मांगा जा रहा है, क्या वे वाकई में जरूरी है, क्या वाकई में उन पर खर्च करना जरूरी है, क्या हम उन अखराजत को रोक नहीं सकते इसलिये कि इस वक्त हमारे पास पैसे की कमी है। ज्यादा से ज्यादा रुपया आप ऐसे कामों में लगाएं जिससे आप लोगों को फायदा हो।

आपने हाल में मुक्तलिफ अखबारों में देखा होगा कि कारपोरेशन के जौनल आफिसेज में किस किस की वदउनमानियां सामने आई हैं। कहीं एक किसम का स्कैंडल सामने आता है तो कहीं दूसरे किसम का स्कैंडल सामने आता है। क्या कारपोरेशन में स्कैंडल ही रहेंगे। क्या हम लोग पानी के लिए हमेशा तरसते रहेंगे और स्कैंडल्स की बारिश होती रहेगी? मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि ऐसा जायजा लिया जाए कि कारपोरेशन ने क्या अपने उन फरायज को अदा किया है जिनकी उस पर जिम्मेदारी थी। अगर कार-

पोरेशन उन फरायज को अदा नहीं कर सकता, सफाई नहीं करा सकता, सविसेज नहीं दे सकता तो क्या उसका बना रहना जरूरी है? मैं समझता हूँ कि ऐसे इदारे को, ऐसे कारपोरेशन को कोई हक नहीं रहता कि वह बना रहे जबकि वह अपने लोगों को पूरी सविसेज न दे सके, सफाई का इन्तजाम न कर सके, पानी के लिये लोग वैसे ही तरसते रहें जैसे कारपोरेशन के न होने की सूरत में तरस रहे थे।

एक और चीज जो मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा वह है प्रोवीडेंट फंड का मसला। एम्प्लॉयज का प्रोवीडेंट फंड तो काटा जाता है लेकिन वह जमा नहीं कराया जाता है। यह किसकी जिम्मेदारी है? किसके कहने से ऐसा किया गया और क्यों उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई? एम्प्लॉयज का पैसा काटकर और एम्प्लॉयर्स का कन्ट्रिब्यूशन मिला कर हमारा फर्ज है कि फौरन उसको बैंक में जमा किया जाय। उसको बैंक में जमा न करने की क्या वजह हो सकती है, उसको क्यों खर्च किया गया, किसके कहने से खर्च किया गया, क्या अचरिटी थी? अगर ऐसा हुआ तो प्रोवीडेंट फंड कमिशनर ने एक्शन क्यों नहीं लिया, म्युनिसिपल कमिशनर इस बात को प्रोवीडेंट फंड कमिशनर के नोटिस में क्यों नहीं लाया। जिसने ऐसी वदउनमानियां की उसको सजा दी जाय। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की तारीफ करता हुआ अपनी जगह पर बैठता हूँ।

श्री लाल आडवाणी (दिल्ली) : उपसभापति जी, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जिस दिन यह विधेयक सदन में पेश किया गया था उस दिन भी मैंने आपत्ति उठाई थी कि इस गम्भीर मामले में कम से कम यह आवश्यक था कि आप यहां के नगर-निगम से सलाह करते, मशविरा करते, पूछते कि उनकी क्या राय है, हम इस प्रकार का परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसमें उसको कुछ सलाह देनी है। मैं यह समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के संविधान में एक लेक्यूना है। उसमें लोकल बाडीज के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

असेम्बलियों के अधिकार, केन्द्रीय सरकार के संसद के अधिकार इन सबका निरूपण किया गया है, लेकिन स्थानीय संस्थाएं जहां वास्तव में लोक-तंत्र की शुरुआत होनी है, चाहे वह पंचायत हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, चाहे नगर निगम हो, उनके लिये चुंकि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये कानून के द्वारा जो भी सरकार चाहे करती रहती है। आज का विधेयक मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के मनमाने-पन का परिचायक है। स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्र में अनावश्यक, अनुचित, अवांछनीय अतिक्रमण है जिसकी कोई जरूरत नहीं, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, जिसकी कोई जास्टिफिकेशन नहीं है। मैं सबसे बड़ी हैरानी की बात यह मानता हूँ कि स्टेटमेंट आफ् आक्जेंट्स एण्ड रोजन्स में बड़े अधिकारपूर्वक गृह मंत्री जी और आज श्री मोहम्मिन जी ने स्वयं इस बात को दोहराया है जिसको मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि संसद की दृष्टि से

This is an instance of deliberate mis-leading of the House ^r TTT |

"The next general elections to the Municipal Corporation of Delhi are due early in May 1975. It will be necessary to revise the electoral roll before then. The Election Commission will, in the normal course, be taking up the revision of the electoral roll of the pralia-mentary constituencies only during 1975. in preparation for the next General elections to the Lok Sabha. It will not be possible for the Election Commission..."

Mind you, this is the basis of the whole Bill.

"to undertake the revision of the electoral roll specially for the purpose of the conduct of the elections to the Municipal Corporation of Delhi."

अर्थात् इस बिल को प्रस्तुत करने का प्रमुख कारण यह है कि नगर निगम के चुनाव मई

75 में होने वाले हैं और उससे पूर्व नगर निगम के जो इलेक्टोरल रोल्स होंगे, जो अब तक लोक सभा के होंगे उनको इलेक्शन कमीशन तैयार करने में असमर्थ है।

उप-सभापति जी, मैंने अभी अभी इलेक्शन कमीशन से जानकारी प्राप्त की है और मुझे उस अधिकारी का नाम बताने में भी संकोच नहीं है क्योंकि उन्होंने सोच विचार करके अन्त में मुझसे कहा कि मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही आप कहें। वह है सेक्रेटरी टु दि कमीशन, मि० ए० के० सेन। उनसे मैंने पूछा कि दिल्ली में इलेक्टोरल रोल्स के रिविजन का शैड्यूल क्या है। मैं इतना ही जानना चाहता हूँ। लोक सभा के इलेक्शन होंगे 75 में या 76 में, उन्होंने समझा होगा कि शायद उसी संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँगा। 1970 में भी बार बार यही कहा गया था कि लोक सभा डिजाल्व नहीं होगी और अंतिम जो उस समय शीतकालीन अधिवेशन हुआ उसमें भी कहा गया कि डिजाल्व नहीं होगी, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है हो, हो सकता है न हो। लेकिन मैं इस विधेयक की बात कर रहा हूँ कि मुझे सेक्रेटरी टु दि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जहां तक दिल्ली के इलेक्टोरल रोल्स का सवाल है हमने हाउस टु हाउस, घर घर जाकर मतदाताओं को देखकर उनके आधार पर इन्सुमरेशन का काम पहली नवम्बर से शुरू कर दिया है। We have started the process of enumeration in order to enrol all those voters who will be eligible on the 1st January 1975. क्योंकि क्वालिफाइड डेट है 1 जनवरी 1975, 1 जनवरी 1975 को कौन कौन से मतदाता 21 साल के हो जायेंगे, इसके आधार पर हमने घर घर जाकर इलेक्टोरल रोल्स का इन्सुमरेशन शुरू कर दिया है। उन्होंने फिर कहा कि 1 फरवरी को हम ड्राफ्ट पब्लिक कर देंगे और फाइनेल पब्लिकेशन जो है वह 31 मार्च 1975 तक पूरा हो जावेगा।

श्री महावीर त्यागी : इसका इलेक्शन कब होगा ?

श्री लाल आडवाणी : मई में इलेक्शन होगा । उप-सभापति जी, ये जो कारण बताये गये हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रिजन्स को देखते हुए ।

In my introductory speech, I have stated all these things.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैंने कहा है आपने सुना नहीं ।

श्री लाल आडवाणी : कहाँ बोला ? आपने तो यह कहा कि यह सम्भव नहीं है इनके लिए इससे पहले करना, 1975 में ड्यू है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इस वक्त कर रहा है, यह भी मैंने बताया ।

श्री लाल आडवाणी : वह कहता है कि 31 मार्च तक हमारे घूरे के घूरे इलेक्टोरल रोल्स तैयार होंगे ।

This is what the Election Commission says. So on this basis at least, it has no relevance.

आप उससे आगे कहिये । कम से कम स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रिजन्स में ऐसी अशुद्ध बात कहना, गलत बात कहना, मिसलीडिंग बात करना यह कम से कम सरकार को नहीं करना चाहिये । सरकार को यह कारण नहीं बताना चाहिये ।

SHRI F. H. MOHSIN : To put the ie-coid straight, I have already stated that the Election Commission have no doubt since ordered preparation of electoral rolls for the next Parliamentary elections with reference to the date as 1st January 1975. This is what I have stated.

SHRI LAL K. ADVANI : Election Commission goes on preparing it throughout the country. So far as Delhi is concerned which is stated to be the main basis, why have you to prepare, the electoral roll separately ? After all you have to justify. \

लाखों रुपये खर्च करने वाले हैं लेकिन क्वालिफिकेशन वही है । एक आदमी 21 वर्ष का होने के बाद लोक सभा के लिए वोट देने का अधिकारी है और अगर वह कारपोरेशन के लिये वोट देने का अधिकारी 18 साल में हो जाता है तो मैं आपकी बात मान लेता कि कारपोरेशन की क्वालिफिकेशन अलग है इसलिये इलेक्टोरल रोल अलग होना चाहिये । लेकिन 58 से लेकर 1974 तक 16 साल तक इलेक्टोरल रोल वही रहा, कोई गलती नहीं हुई, कभी कोई शिकायत नहीं आई । अगर कोई शिकायत हुई तो वह लोक सभा के लिये भी हुई । अभी माननीय सदस्य कह रहे थे इलेक्टोरल रोल बिल्कुल गड़बड़ होता है । इलेक्टोरल रोल चाहे लोक सभा का हो या कारपोरेशन का हो वह ठीक होना चाहिये, वह अशुद्ध नहीं होना चाहिये, कमियां नहीं होनी चाहिये । जो मत देने के अधिकारी हैं उनका नाम उसमें होना चाहिए । इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । मैं इस बात का कारण समझना चाहता हूँ कि कारपोरेशन के ऊपर लाखों रुपए का एडिशनल वर्डन क्यों डाला जा रहा है । मैं आरोप लगाना चाहता हूँ और अभी माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि इस मामले में तियासी राजनीति नहीं आनी चाहिये । मैं सहमत हूँ लेकिन मेरा आरोप इस बात पर है कि दिल्ली कारपोरेशन जब से भारतीय जनसंघ के हाथ आया है तब से लेकर इसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है । इसके अधिकार कुंठित किये गये हैं । एक-एक करके इसके खिलाफ ऐसे कदम उठाये गये हैं जिससे यह आगे के इलेक्शन न जीत सके । इन्होंने सोचा कि इसमें ऐसी व्यवस्था करें जिससे जनसंघ मैजोरिटी में न आए ।

श्री ग्राम महता : यह कैसे होगा ?

श्री लाल आडवाणी : यह मैं समझना चाहता हूँ । यह मैं आशंका इसलिए प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मंत्री जी ने अपने भाषण में कोई ऐसी बात नहीं बताई कि कमिश्नर इलेक्शन इससे चलाएगा । कानून में लिखा

हुआ है। आपके स्टैट मैन्स आफ् दायर्जिट एंड रीजन्स में लिखा हुआ है a new post will be created known as Director of Elections because it would be of advantage. To whose advantage?

कारपोरेशन का एडवांटेज, जनता का एडवांटेज सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवांटेज हो सकता है

Subject to the superintendence, direction and control of the Central Government. It is a strong objection to this.

मेरा कहना है कि इसको इलैक्शन कमीशन ही कंट्रोल करे। आप कारपोरेशन के हाथ में पावर निकाल कर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ला रहे हैं। यह आशंका, क्योंकि 1967 से ले कर जिस प्रकार से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुआ है, जिस प्रकार से दिल्ली कारपोरेशन के साथ हुआ है उसी के आधार पर बेस्ड है। आपने दिल्ली कारपोरेशन से दिल्ली ट्रांसपोर्ट छीन लिया। दिल्ली कारपोरेशन के पास जब ट्रांसपोर्ट भी तो मुझे भी उसके काम से सन्तोष नहीं था। शुरू शुरू में हमने दो साल काम किया और उसमें सुधार की कोशिश भी की। वहाँ ऐसी व्यवस्था भी है कि जो स्टेटुचरी कमेटीज हैं उसके चार आफिशियल मैम्बर्स होते हैं तो वे टास के आधार पर बदलते रहे हैं। हम बार-बार कहते हैं कि चार क्यों रखते हैं पांच रखो।

Why not make it five in order to enable the majority party in the Corporation to take decisions. It may be Jan Sangh today the Congress tomorrow. Whosoever it is, the policies of the Corporation should be implemented through the statutory committees.

वहाँ पर तो टास द्वारा चेयरमैन बनाया जाता है, यद्यपि कारपोरेशन में जनसंघ सत्तारूढ़ है। आप जानते हैं कि डी० टी० सी० के बारे में शिकायत है। श्री ओम मेहता जी जब वहाँ पर मंत्री थे तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट को अपने हाथ में ले लिया। केन्द्रीय सरकार के इस विभाग को अपने हाथ में लेने के बाद भी आप सारी स्थिति को देख लीजिये... (Interruptions) एक दिन 75 RSS/74-8

आप क्यू में खड़े होकर तो देख लीजिये इसमें कोई संदेह नहीं कि जब श्री ओम मेहता जी की छत्र छाया में यह विभाग आया है पिछले साल इस डी० टी० सी० को 14 करोड़ रुपये का लोन मिला है। जब हम लोग मांग करते रहे कि दो करोड़ का लोन दीजिये, तो हमको दो करोड़ का लोन भी नहीं दिया गया। यह भी सही है कि इस लोन के कारण 90 परसेंट नई बसें आ गई हैं, जब कि सन् 1971 तक इसमें 40 परसेंट पुरानी बसें थीं। उनको रिप्लेस कर दिया गया है। जब यहाँ पर 40 परसेंट पुरानी बसें थी तो दिल्ली में 25 सी ट्रिप्स मिस होती थीं और आज जब कि 90 परसेंट नई बसें हैं तो 60 हजार के लगभग ट्रिप्स मिस होती हैं। यह नमूना मैंने इसलिये दिया है कि आप कहते हैं कि आपने डी० टी० सी० को ठीक कर दिया है। आपने देखिये। स्लम डिपार्टमेंट कारपोरेशन के पास था और जनसंघ वाले जब जनता में भ्रष्टाचार काम कर रहे थे तो स्लम डिपार्टमेंट को उनसे छीन लिया गया। जनसंघ वालों ने दिल्ली में झाड़ू हाथ में लेकर कुछ सफाई का काम करने का प्रयत्न किया तो इनको जेलेंसी हो गई। पिछले चार साल से यह चर्चा चल रही है कि बिजली और पानी के विभाग जो कारपोरेशन के पास हैं, इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले। आप करिये। लेकिन पिछले दो साल से इसकी चर्चा ठंडी पड़ गई है। इसका कारण यह है कि दो साल से वहाँ पर चेयरमैन कांग्रेस का आदमी हो गया है।

श्री ओम मेहता : नहीं, नहीं।

श्री लाल आडवाणी : ओम मेहता जी, नहीं नहीं करने से ना नहीं हो जाता है।

I am giving you facts.

श्री ओम मेहता : टाँस भी आपके हक में नहीं जाता है।

श्री लाल आडवाणी : जनता हमारे हक में जाती है। टाँस, लाटरी बमैरह तो आपके फेवर में जाती है।

[श्री लाल आडवाणी]

उप-सभापति महोदय, इस बिल में जो प्रमुख पहलू हैं उनकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। इसमें पहला पहलू यह है कि सामान्यतः 20 हजार जनता पर कारपोरेशन का मेम्बर होगा। अब दिल्ली की आबादी बढ़ गई है। और यह जो 20 हजार का निर्वन्ध लगा हुआ है, उसे बनाये रखना संभव नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई है। इस समय दिल्ली की जनसंख्या 46 लाख से भी ऊपर है और कुछ सालों में ही यह जनसंख्या 50 लाख से भी ऊपर चली जाएगी क्योंकि दो लाख आदमी यहाँ पर हर साल बढ़ जाते हैं। जब दिल्ली की जनसंख्या एक इलाके में 50 लाख हो जाएगी तो इसका अर्थ यह है कि एक इलाके में 50 हजार की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। अभी स्थिति यह है कि किसी किसी इलाके में बोटिंग स्ट्रेन्थ 12 हजार, 13 हजार है तो किसी इलाके में 55 हजार और 60 हजार है। जिस इलाके का अभी उस तरफ के एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया और जिसको पुरानी दिल्ली का एरिया कहते हैं, बांदनी चौक का एरिया अगर उसको इस बिल के मुताबिक बनाया गया तो वहाँ पर लोगों का रिप्रजेंटेशन बहुत कम हो जाएगा। अगर 50 हजार की आबादी के इलाके का कोई कारपोरेशन का मेम्बर होगा तो उन लोगों की जो रोजमर्रा की आवश्यकताएँ हैं, बिजली, पानी की, नालियों की, उनको वह किस प्रकार से पूरा कर सकेगा, देख सकेगा यह सोचने की बात है।

[Vice Chairman (Shri V. B. Raju in the Chair)]

पार्लियामेंट का मेम्बर, विधान सभा का सदस्य जिसको प्रमुख रूप से जाकर कानून बनाना है, नीति निर्धारित करनी है उसके लिए तो ठीक है लेकिन कारपोरेशन के मेम्बर के लिए एक्स-पेक्टेड नहीं कि वह जनता की जो रोज की दिक्कतें हैं, उसकी सिविक एमिनिटीज हैं, 50-60 हजार की कांस्टीट्यूएन्सी बनाने के बाद, उसकी ओर ध्यान नहीं दे सकेंगे। मैं इस बात को गलत समझता हूँ कि 100 की संख्या नहीं बढ़नी

चाहिए। सौ की संख्या बढ़ानी चाहिए। डेढ़ सौ, दो सौ बनानी पड़े तो बनाइए। अगर आप इसके कारण कारपोरेशन की जो एसेन्शियल यूटिलिटी है, उसका जो उपयोग है, उसकी जो आवश्यकता है, उसका जो राशन है, उसको खत्म मत कीजिए। इसलिए मैं इस प्रस्ताव के खिलाफ हूँ कि अब 100 की संख्या ज्यों की त्यों बनाए रखें और यह जो निबन्ध है 20,000 के ऊपर एक प्रतिनिधि होना चाहिए इसको काट दें। मैं इनके स्थान पर आवश्यक समझता हूँ कि गांवों में कारपोरेशन की सदस्य संख्या बढ़नी चाहिए ताकि हम सारी जनसंख्या के प्रतिनिधि होकर उनकी ठीक सेवा कर सकें।

इसका दूसरा भाग है इन्वेस्टोरल रोल का, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ लेकिन मैं इसके बारे में जानना जरूर चाहूंगा। आपने मुझे टेक्निकल जवाब दे दिया :

"Because it is not from the Consolidated Fund of India..."

इसलिए फाइनेंशियल मेमोरेण्डम जरूरी नहीं है लेकिन टेक्निकली जरूरी है। इसके कारण वह बात चली गई। लेकिन क्या हम इस बात पर विचार ठीक तरह से कर सकते हैं। जब तक हमको जानकारी न मिले कि कारपोरेशन के ऊपर आपने एक्स्ट्रा बर्डन कितना डाला हम नहीं कर सकते हैं। आपको पता चलाना चाहिए कि कुल-मिला कर यह जो आप एक्स्ट्रा, एडोशनल इन्वेस्टोरल रोल, बनाएंगे दिल्ली में, उस पर कितना खर्च होगा कारपोरेशन का और क्या कारपोरेशन को आप वह ग्राण्ट देंगे? हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि कारपोरेशन मांग क्यों कर रही हैं? मांग इसलिए कर रही है कि उनके जो ड्यूज हैं वे ही पूरे नहीं होते हैं। पिछले अगस्त में हमारे दिल्ली कारपोरेशन के मेयर श्री केदारनाथ साहनी जी ने प्रधानमंत्री को एक लम्बी चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कारपोरेशन द्वारा पास किया गया एक विस्तृत प्रस्ताव भी उनके पास भेजा और बताया कि किस प्रकार हमारे कारपोरेशन को ब्राटल किया जा रहा है, किस प्रकार से अपंग बनाया जा रहा है। जो

हमारे ड्यूज हैं, जो कारपोरेशन को दिए जाने हैं, उनकी बाबत अभी वह सदस्य कह रहे थे कि यह बड़ा विवाद है एन. डी. एम. सी. और कारपोरेशन के ड्यूज के बारे में और वह सालों से चलता आया है। कानून के अन्तर्गत उस विवाद के बारे में आत्मनिर्णय करने का जो अधिकार है उसके अनुसार लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को कुल मामला गया, बहुत विवाद हुआ, उसमें कई कमेटीयाँ और उनमें कई अधिकारी बैठे और अंत में जब वह कानून के अनुसार लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने सब छानबीन करके 11 सितम्बर, 1973 को दिल्ली नगर नियम के मेयर श्री केदार नाथ साहनी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने केटेगोरिकली इस बात को स्वीकार किया कि हाँ ये ड्यूज हैं बराबर और यह निर्णय हो चुका है। उनका कहना यह है कि:

"Kindly refer to your letter No dated 29-8-73 regarding settlement of Corporation's dues.

हो गया, अब कुछ नहीं बचा।

"The outstanding dues of the New Delhi Municipal Committee with regard to the payment of electricity tax have since been settled. The New Delhi Municipal Committee has been asked to make payment of electricity tax to the Corporation..."

एक साल से ऊपर हो गया है। यह सितम्बर, 1973 की बात है, आज हम नवम्बर 1974, में बात कर रहे हैं। एक साल के बाद उन्होंने ड्यूज नहीं दिए...

SHRI KHURSHED ALAM KHAN : What is the amount?

SHRI LAL K. ADVANI : The amount is Rs. 4.57 crores.

SHRI KHURSHED ALAM KHAN : The N.D.M.C. says it is Rs. 13 lakhs.

SHRI LAL K. ADVANI : I am not concerned with the N.D.M.C. I am concerned with the authority under the law namely, the Lt. Governor...

SHRI KHURSHED ALAM KHAN : Has he mentioned this in his letter?

SHRI LAL K. ADVANI : He has mentioned...

SHRI OM MEHTA : But not the Lt Governor.

श्री लाल आडवाणी : लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की बिट्टी पड़ कर में सुना रहा हूँ—बालेस्वर प्रसाद जी की। आप सोचिए, अगर आज एन०डी०एम०सी० में जनसंघ की मेजरिटी होती और इस प्रकार से लेफ्टिनेन्ट गवर्नर का निर्णय हो जाता तो क्या उसको कोई चलने देता? तो कुल मिलाकर साढ़े 5 करोड़ रुपये के ड्यूज कारपोरेशन को नहीं मिलेंगे तो कारपोरेशन जितनी ईमानदारी से जनता की सेवा करना चाहता है वह नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूँ, इसको कहने में कोई संकोच नहीं कि 1967 से आज तक दिल्ली में जब से कारपोरेशन में भारतीय जन संघ आई है, हमने जो काम किए हैं, जो सेवा की है, हमने जो परिश्रम किया है, हमने जिस प्रकार से दिल्ली को एक राजधानी के रूप में बनाने की कोशिश की है, दिल्ली के सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। यह ठीक है, उसमें कमियाँ हैं, मैं इन्कार नहीं करता हूँ, और उन कमियों को भी ठीक करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा निवेदन है अगर कोई कमियाँ होती हैं तो उसका उल्लेख कारपोरेशन की मीटिंग में भी होता है, हमारे सदस्य स्वयं करते हैं। यहाँ पर जो हम सरकार के द्वारा ऐसा कानून पास कर रहे हैं, इस कारपोरेशन के अभी तक के सीमित अधिकारों को और संकुचित करना चाहते हैं, और सीमित करना चाहते हैं, और तंग करना चाहते हैं और कमजोर बनाना चाहते हैं, तो मैं उन सब बातों का हवाला देकर जरूर कहूँगा कि दिल्ली कारपोरेशन के साथ एक सौतेली माँ का सा व्यवहार होता है। और दिल्ली कारपोरेशन के साथ दलगत राजनीति के आधार पर व्यवहार होता है। दिल्ली कारपोरेशन के जो ड्यूज हैं, वे अभी भी पूरे नहीं दिये जाते हैं। मैं भी कहूँगा और इसकी

[श्री लाल बाबूजी]

चर्चा भी होती है कि कारपोरेशन के इलेक्शन प्रगले साल पोस्टपोन होने चाहिए। 1976 में लोक सभा के इलेक्शन होने वाले हैं और तब ही इसके इलेक्शन होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून के द्वारा इस बात की व्यवस्था की जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ What is the position?

अब नवम्बर में आकर आप इस बिल को पास कर रहे हैं ताकि सारे का सारा मामला टल जाय। इसके कारण म्युनिसिपल कारपोरेशन के फिर से इलेक्शन रोल्स बनेंगे और फिर से डी-लिमिटेशन होगा और इस तरह से एक खम्बी चौड़ी बात हो जायगी। कारपोरेशन वाले चाहते थे कि डिलिमिटेशन कराके मई के महीने में इलेक्शन करवा लें, लेकिन आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसके कारण उनके लिए यह करना संभव न हो सके। मैं जानना चाहता हूँ कि कारपोरेशन के इलेक्शन के सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया का क्या स्टैंड है?

मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक को सर्वथा अनुचित मानता हूँ, सर्वथा अवांछनीय मानता हूँ और सर्वथा दलगत राजनीति से प्रेरित मानता हूँ और इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

मैं यह निवेदन फिर से करना चाहता हूँ कि स्थानीय संस्थाओं के संविधान में फिर से परिवर्तन होना चाहिए जिसके कारण कोई राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार मनमाने ढंग से उनके अधिकारों पर हस्तक्षेप न करे।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : उप-सभापति जी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को वापस ले लें। 1974 में, इस बीसवीं सदी में इस प्रकार का काला विधेयक लाना जनतंत्र का उपहास करना है। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, श्री प्रकाशवीर शारदा जी और सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और मैं चाहता हूँ कि यह जो सरकारी पक्ष के जो लोग हैं, वे भी इस बात को

सुनें। मैं चाहता हूँ कि वे सब लोग इसकी धाराओं को पढ़ें और इसके उद्देश्य को देखें कि आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है और सरकार क्या चाहती है?

बड़ा हल्ला है कि यह जो बिहार में आन्दोलन हो रहा है वह आन्दोलन फासिस्ट है और इस चीज की संचालिका, सजग प्रहरी श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिनको जनतंत्र का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा वे इस बात को अच्छी तरह से समझ जायेंगे और इस विधेयक को देखकर भी समझ जायेंगे कि यह बिल जो है वह जनतंत्र का हत्यारा है इसकी धाराओं में जहाँ पर चुनाव के सम्बन्ध में व्यवस्था है, तो जहाँ चुनाव सम्बन्धी कोई व्यवस्था होती है तो पहिले वोटर लिस्ट को तैयार करने के सम्बन्ध में व्यवस्था होती है। अब वोटर लिस्ट कौन तैयार करे? श्रीमान, आप इस बिल के धारा पांच के सात को देखें जिसमें लिखा है "किन्नीय सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, नगर निर्वाचन, निर्देशक हल्कों में सभी निर्वाचक नामावतियों की तैयारी पुनरीक्षण और शुद्धि और निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।"

यह निर्वाचक सूची तो केन्द्रीय सरकार के अधीन कोई अफसर तैयार करेगा। फिर हमें बता दिया कि वह कैसे ठीक रहेगी। जिसका नाम चाहो निकाल दो, जिस का नाम चाहो बढ़ा दो। एक बहुत ही प्रसिद्ध कांड हो गया है। एच० बी० कामराव जो लोक सभा के सदस्य कई बार रह चुके थे और विधान-निर्मात्री परिषद के सम्मानित सदस्य थे वोटर सूची से उन्हीं का नाम निकलवा दिया क्योंकि लोक सभा में वे प्रधान मंत्री को खटकते थे, प्रधान मंत्री की गलतियों को पकड़ लेते थे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY

AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : Sir, It is absolutely wrong. There is nothing like that.

उन्होंने अपना नाम लिखाया नहीं, अब वे कहते हैं कि निकाल दिया। प्रधान मंत्री को क्या था कि रजिस्टर हुआ या रजिस्टर नहीं हुआ। जो सूची पब्लिश हुई थी उसको देखकर नाम लिखाना चाहिए था। पहले यह पब्लिश होती है, उसके बाद फैसला होता है। उसमें भी प्रधान मंत्री को लायेंगे तो क्या बात बनेगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) : आपका मतलब क्या है।

श्री राजनारायण : मैं वही बता रहा हूँ। माननीय ओम मेहता जिन तत्परता और शीघ्रता से उठे हैं उसी ने उनके मकसद और हमारे मकसद को साफ कर दिया। आज तक मुझे अपने नाम को लिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप भी जानते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) : ठीक है।

श्री राजनारायण : तब तो आपको श्री ओम मेहता से कहना चाहिए था।

"Om Mehta, you are talking nonsense; sit down."

SHRJ OM MEHTA : Sir, you decide whether he is talking sense or nonsense. I always talk sense.

श्री राजनारायण : मगर आपने यह नहीं कहा। 46 में हम वोटर रहे, 52 में वोटर रहे, 57 में वोटर रहे, 67 में वोटर रहे लेकिन 71 में कट गए।

श्री ओम मेहता : आपने वह जगह छोड़ दी होगी।

श्री राजनारायण : 76 में शायद हमारा नाम भी कट जाय। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि अगर स्पेस में एक आना, दो आना ईमानदारी भी अदालत में रह गई तो इन्दिरा जी तो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई

होंगी उसके तरीके से। अब मैं अपनी बात पंडित प्रकाशवीर शास्त्री से ही कहवाया करूंगा। ये कायजात हैं कि प्रधान मंत्री ने क्या-क्या स्वीकारा है। (Interruptions)

श्रीमन्, इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ। इसमें प्रावधान है—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर—“प्रत्येक हल्के के लिए निर्वाचक नामावलि, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा, जो सरकार या नियम का ऐसा आफिसर होगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त पदाविहित या नामनिर्दिष्ट करे, तैयार या पुनरीक्षित की जाएगी।” जो रजिस्ट्रीकरण करने का आफिसर होगा उसको भी केन्द्रीय सरकार देगी यानी सारी शक्ति बुनियाद से केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपका यह कारपोरेशन कर्पो, म्युनिसिपल बोर्ड कर्पो, टाउन एरिया, नोटीफाइड कमिटीज कर्पो। अंग्रेज सरकार के जमाने में भी 1916 का जो म्युनिसिपल एक्ट हमारे यहां उत्तर प्रदेश में था उस एक्ट में भी इतनी पावर सरकार के हाथ में नहीं थी।

इस स्थानीय स्वायत्तता के माने क्या हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माने क्या हैं? अगर इसमें स्थानीय स्वायत्तता कुछ है तो मैं यह कहना चाहूंगा वोटर लिस्ट तैयार करने की जो प्रक्रिया है आज इस विधेयक के जरिए केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले रही है। उसे अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को इससे विरत हो जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार से बहुत ही सफाई से मैं कहना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार का सूची तैयार करने से कोई मतलब नहीं है। जो 18 साल का बालिश हो गया उसका अपने आप वोटर में नाम आ गया। अब तक चूंकि 1974 में विधेयक आ गया इसलिए मैं तो चाहता था कि यह 21 की जगह 18 रहे क्योंकि जब से हमने अपने देश में 18 वर्ष की बात कही है उसके बाद से दुनिया के अनेक देशों में, अमरीका, इंग्लैण्ड आदि में 18 साल हो गया। आपको मालूम होगा कि इसकी मांग करने पर हमारी टांग टूटी है।

[श्री राजनारायण]

6 अप्रैल, 1970 को जब लाख डेढ़ लाख लोग प्रदर्शनकारी आये थे, उसमें 6 मांगों में हमारी एक मांग यह थी कि जिस प्रकार से हर काम के लिए 18 साल में आदमी बालिग बन जाता है, उसी तरह से वोट के लिए भी होना चाहिए। हम अपनी संपत्ति ले सकते हैं, बेच सकते हैं, बेनामे कर सकते हैं, मगर वोट नहीं दे सकते हैं, जब तक कि 21 साल के न हों। क्यों? यह सरकार समझती है कि देश का जो युवा तबका है वह सरकार के पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए नवयुवकों से यह सरकार डरती है और यह समझती है कि 21 की जगह 18 कर देंगे तो करीब 4 करोड़ जो वोट पड़ेंगे वे विरोध पक्ष को जावेंगे। आप देख रहे हैं कि अगर इस सरकार में तनिक भी जनतंत्र की गंध होती तो आज जो बिहार का युवा वर्ग इस सरकार के काले कारनामों के विरुद्ध उठ खड़ा हो गया है, उस युवा वर्ग की बात मान कर कुछ आदर्श उपस्थित कर सकते थे कि यह सरकार युवा वर्ग के प्रति अपने कर्तव्य को करने के लिए अग्रसर हो रही है। मगर उसके बावजूद भी 1974 में जो कारपोरेशन के लिए संशोधन का विधेयक आया है, उसमें 18 साल की अवस्था वाले युवक को बालिग मतदाधिकार के लिए इन्होंने नहीं माना है, यह क्या है? यह जनतंत्रीय पद्धति पर चलना है या जनतंत्रीय पद्धति के विनाश की राह पर चलना है। सीधे-सीधे सरकार इसको सोचे और बताये।

आप यहां नहीं थे, मुझे पहले से जानकारी नहीं थी कि यह विधेयक आज आयेगा। जब मैं सुबह आया तो मुझे यह बताया गया कि जैडयून्ड कास्ट और जेडयूल्ड ट्राइब्स की रपट ली जाएगी वरना मैं लिख कर दे दिया होता।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : एजेन्डा पेपर्स में है।

श्री राजनारायण : आप तो हमसे ज्यादा जानकार हैं। जो सरकार हम पर चलती है, इसके

लिए कोई एजेन्डा है? सरकार के जी में जो आता है वह करती है?

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : यह सरकार नहीं करती, यह तो चेयर डिसाइड करता है।

श्री राजनारायण : यही चीज तो है जो यह चल रही है, उसका आप उल्टा बोल रहे हैं। एजेन्डा कल कोई दूसरा था लेकिन आपने देखा कि कल बिहार पर बहस होगी। अगर आज सरकार उसको मानी न होती तो आज कोई एजेन्डा न चलता।

श्री ओम सहता : एक तो इनकी बात मान ली फिर भी इनको गिला है।

श्री राजनारायण : मान लिया, लेकिन विरोध के बाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : You can reserve it for tomorrow when you speak on Bihar.

श्री राजनारायण : इसमें सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन आफिसर है। हमने सोचा कि सहायक भी केन्द्रीय सरकार के पंजे से मुक्त हो। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन आफिसर को उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन आफिसरों के रूप में नियुक्त करेगी, ऐसा इसमें दिया है।

जो सहयोगी अफसर होगा उसे केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी। वह केन्द्रीय सरकार के धूनी पंजे से अलग नहीं किया जाएगा। हम जनतंत्र के विचारार्थी हैं, पालिटिकल साइंस के विचारार्थी हैं, हम जानना चाहते हैं आखिर यह क्या हो रहा है। क्या इससे जनतंत्र का निर्वाह होगा? श्रीमन्, अगर हमारा प्रवर समिति में जाने का संशोधन माना होता, तो उसकी परिधि को बढ़ाने का हम संकल्प लाते। हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार तानाशाही की प्रवृत्ति पर चल रही है और टाउन एरिया कमेटी, गांव पंचायत, नगर पालिका या महानगर पालिका

इन तमाम के हाथ से पुलिस का अधिकार भी अपने हाथ में ले रही है। आप देख रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नगर महानगरपालिका में ऐसी गुंजाइश हो कि दिल्ली की पुलिस नगर महानगरपालिका के अधीन ही रहे। अगर हम कारपोरेशन, महानगरपालिका के महत्व को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको उसके कुछ अधिकार बढ़ाने पड़ेंगे। हम चाहते थे कि जब 1974 में यह विधेयक आए तो उसमें इस बात की गुंजाइश हो कि पुलिस का अधिकार दिल्ली महानगरपालिका रखे और दिल्ली का प्रबन्ध पूर्णरूपेण महानगरपालिका के तहत रहे।

अगर आज यह व्यवस्था हो जाती, तो श्रीमन्, आज हमारे मनीराम बागड़ी और करीब दो दर्जन लोग उनके साथ राष्ट्रपति भवन में गिरफ्तार न हुए होते। उनके साथ अश्रुद्रव्यवहार न हुआ होता। दिल्ली की पुलिस महानगरपालिका के तहत रहती तो वह भद्र होती, वह नागरिक अधिकारों को समझती और केवल केन्द्रीय सरकार की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन न करती। यह क्या तमाशा है? यह राष्ट्रपति है या केन्द्रीय सरकार पति है। अजीब हालत है एक नागरिक के अधिकार का मञ्चौल हो रहा है। राष्ट्रपति को आपन देने जा रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अश्रुद्रव्यवहार किया जाता है। करीब 17-18 व्यक्तियों को ले जाकर के गिरफ्तार किया जाता है। यह मनीराम बागड़ी कोई मामूली आदमी नहीं है। मनीराम बागड़ी लोक सभा के माननीय सदस्य रहे हैं। प्रकाशवीर शान्सी जी के साथ रहे हैं। हमारी पार्टी के जब डा० लोहिया जीवित थे तो उनके काल में मनीराम बागड़ी सोशलिस्ट पार्टी के लोक सभा के नेता रहे हैं। उनके साथ इस तरह का अश्रुद्रव्यवहार किया जाए यह ठीक नहीं है। मुझे समझ नहीं आता घाबिर जनतन्त्र कैसे चलेगा? जिस तरह से केन्द्रीय सरकार चाहेगी, जिस तरह से इन्दिरा गांधी चाहेगी उसी

तरह से शासन चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो 'मीसा' है इस बारे में हमारे छाहवाणी जी अब बोल रहे थे, तब आपको बताया था कि यह 'मीसा' मैन्टेनेन्स आफ इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं है, बल्कि यह मैन्टेनेन्स आफ इन्दिरा सिक्योरिटी एक्ट है, एम० आई० एम० ए०। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी जिसको हम बहुत चाहते हैं थोड़ा सा हम से पड़ ले। मगर उनको फुर्सत है ही नहीं। ये बेचारे दिन-रात सोवते रहते हैं कि जी-हजुरी कैसे करें।

श्री श्रीम मेहता : अगर हम इनसे सबक पढ़ेंगे तो आप सोचें हम किसर जाएंगे।

श्री राजनारायण : अगर आप हमसे सबक सीखेंगे तो चमक जायेंगे। चाहे थोड़ी सी कमी जरूर खाने-पीने, साज-सज्जा और रख-रखाव में आ जायेगा, लेकिन मनुष्य बन जाओगे और आप का व्यक्तित्व निखर जायेगा। मैं आज बिलकुल हंके की चोट पर कहने के लिये तैयार हूँ कि आप पटना में सब को बुला लीजिये, इंदिरा जी को बुला लीजिये, श्री जयप्रकाश जी को आप इस वक्त थलग रखिये, आप बोट लीजिये और जनता से पूछिये कि बिहार विधान सभा भंग हो या नहीं हो। मैं इस चेन्जेज को स्वीकार करने के लिये तैयार हूँ। मैं अभी श्री जयप्रकाश जी को टेलीफोन पर कह देता हूँ कि आप दिल्हेयर कर दीजिये कि बिहार का आन्दोलन बन्द हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : आपको बिहार के बारे में चर्चा करने का मौका काल को मिलेगा।

श्री राजनारायण : यहाँ पर जनतन्त्र की प्रतिष्ठा का नाम लिया जाता है। सी० पी० आई० वाले जनतन्त्र का नाम लेते हैं। जिन्दगी भर जिन लोगों ने जनतन्त्र की अवहेलना की, वे आज जनतन्त्र का नाम लेते हैं। यहाँ पर जनतन्त्र बचाओ के नाम पर रूसी व्यवस्था चालू करने हो। इसीलिये आज कल एक नाग दिया गया है कि—डांगे, इंदिरा

[श्री राजनारायण]

और मस्तान, बेच रहे हैं हिन्दुस्तान। आज गली गली में यह नारा लगा हुआ है। इस देश की जनता इस बात को भुली नहीं है।

SHRI OM MEHTA : Sir, I highly object to these words. He is repeating it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Rajnarainji, let us come to the point.

श्री राजनारायण : अब आप बिल में निर्वाचक नामावतियों की तैयारी और पुनरीक्षण देखिये। इसमें लिखा है कि प्रत्येक हल्के के लिये निर्वाचक नामावली प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व, अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से ऐसी रीति से जो नियमों द्वारा विहित की जाये, तैयार की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये बनाये गये नियमों के अनुसार अपने अन्तिम प्रकाशन पर तुरन्त प्रवृत्त की जायेगी।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि साधारण निर्वाचन के पूर्व किसी हल्के की नई निर्वाचक नामावली तैयार करने के बजाये उस हल्के के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली को अपना लेना पर्याप्त होगा तो वह आदेश द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट कारणों से, यह निर्देश दे सकेगी कि उस हल्के के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली इस प्रयोजन के लिये बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये साधारण निर्वाचन के लिये उस हल्के की निर्वाचक नामावली होगी।

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि सरकार आदेश द्वारा ऐसा कर सकेगी। इससे बड़कर जनतन्त्र की बढ़-माशी और क्या होगी। हमारे एक अध्यक्ष थे वे बोलते थे कि जब तुम बोलते हो तो बिच्छी के डंक की तरह से मारते हो। मैं चाहता हूँ कि इस सरकार को डंक मारा जाये। अगर कोई पार्लियामेंटरी कांस्टिट्यूंसी में इनको बहुमत मिल गया और इनकी हकूमत हो तो ये साफ कड़ कि यहाँ पर निर्वाचक सूची बनाने की जरूरत नहीं है और पुरानी निर्वाचक सूची से काम चल जायेगा।

दिल्ली में यह बेहुदा बात चल रही है। मैं समझता हूँ कि यह पूरा का पूरा सम्पूर्ण विधेयक तूफानी बदतमीजियों से भरा है।

अब आप स्वायत्त शासन को लीजिये। स्वायत्त शासन के अन्तर्गत पानी, बिजली, सफाई, पढ़ाई, आवागमन और उस क्षेत्र की विकास की योजनाएँ सब लोकल बाडीज, कारपोरेशन के तहत रहनी 4 P.M.

चाहिये। जब कारपोरेशन श्री एल० के० आडवाणी जी के हाथ में रहेगा, तब ओम् मेहता कहेंगे कि बिजली का राष्ट्रीयकरण होगा, सरकारीकरण होगा और जहाँ कारपोरेशन ओम् मेहता के हाथ में आया तब कहेंगे कि बिजली जैसे भी चले, उससे भी खराब चले चाहे किसी को मिले या न मिले, उससे मतलब नहीं, लेकिन उसका नाम मत लो। इतने दिनों तक सदन में मैंने इस बात को सुना कि बिजली को सरकार अपने हाथ में ले लेगी...

श्री ओम् मेहता : जरूर ले लेंगे।

श्री राजनारायण : बिजली की व्यवस्था प्रायःपि है, उचित नहीं है। सरकार को अगर लेना था तो सरकार को विधेयक के अन्दर उसकी चर्चा करनी चाहिये थी, सरकार को इसको ले आना चाहिये था।

श्री ओम् मेहता : इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजनारायण : आखिर जब एक्ट में संशोधन हो रहा है...

श्री ओम् मेहता : पढ़ो तो मालूम होगा। पढ़ा ही नहीं।

श्री राजनारायण : अब, श्रीमन्, धाने चल कर देखा जाये। यह सरकार आज सारी की सारी कत इस संशोधन विधेयक के जरिये अपने हाथ में लेने का प्रयत्न कर रही है इसलिये मैं इस विधेयक का घोर विरोधी हूँ। मैं चाहता हूँ, इस विधेयक को सरकार वापस ले ले, अगर उसकी जनतन्त्र के प्रति तनिक भी आस्था हो। इसको लाकर सरकार जनतन्त्र के नाम पर जनतन्त्र की

हत्या कर रही है और जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका हनन करने पर तुली हुई है। इसलिये मैं आपके द्वारा बहुत ही भजवती के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूँ और चाहता हूँ यह सरकार इस को वापस लेने की कृपा करेगी। इसको वापस लेने से सरकार की प्रतिष्ठा नहीं गिरेगी, बल्कि सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जब सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो सरकार की रक्षा भी होगी वरना अगर यह सरकार चाहे कि सारी ताकत अपने हाथ में लेकर पलटन और पुलिस की बरीलत इस देश की जनता पर शासन करे तो यह संभव नहीं है; क्योंकि यह राम का राष्ट्र है, यह कृष्ण का राष्ट्र है, यह महात्मा गांधी का राष्ट्र है, यह बुद्ध का राष्ट्र है। यहां बड़े बड़े आततायी राजाओं का विरोध हुआ है, बड़े-बड़े आततायी राजाओं का नाश हुआ है। इसलिये जो मौजूदा इन्दिरा सरकार है इसकी कोई ताकत नहीं है। यह सरकार कितने दिनों तक रह पायेगी। हम यह ओम् मेहता से भी कहना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी जो इस विधेयक को इस समय चला रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में अब उनके लिये कोई सुरक्षा नहीं है, कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद भी उनकी कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिये वह समझदारी की बात करें, जनतन्त्र की अवहेलना न करें और ऐसे बेहूदा विधेयकों को इस सदन में प्रस्तुत करने की कुचेष्टा न करें। यह काला विधेयक है, इस काले विधेयक में सारी ताकत सरकार के हाथ में सौंप रहे हो। यह तानाशाही व्यवस्था का नाम होगा, इसको जनतन्त्र नहीं कहा जा सकता। चूंकि यह विधेयक जनतन्त्र का हनन कर रहा है, इसलिये मैं इस विधेयक का धोर विरोधी हूँ। फिर भी सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार जनतन्त्रीय पद्धति और प्रणाली में आस्था प्रगट करती है तो इस विधेयक को वापस ले ले।

RE SITTING OF THE HOUSE ON
14TH NOVEMBER, 1974

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (उत्तर प्रदेश) आपके द्वारा मैं एक बात संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। आज समाचारपत्रों में आया है कि लोक सभा का

अधिवेशन 13 और 14 नवम्बर, दोनों दिन नहीं होगा। तो यहां की क्या स्थिति है?

श्री ओम् मेहता : (जम्मू और काश्मीर) आप उस समय नहीं थे। लन्च से पहले हाउस एडजर्न होने के समय मैंने बताया था कि आज चेयरमैन साहब ने इस बात की अनुमति दे दी है कि 14 तारीख को राज्य सभा में छुट्टी रहेगी।

श्री राजनारायण : (उत्तर प्रदेश) 13 और 14 है तो 15 तारीख को भी एक दिन के लिये बढ़ जाये। 15 को फाइडे है। जब हम 13 और 14 को नहीं बैठ रहे तो खाली गैर-सरकारी दिन के लिये क्यों बैठें?

श्री ओम् मेहता : घाड़वाणी जो आपके पास बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिये।

श्री लाल आडवाणी : (दिल्ली) छुट्टी करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण : अब अपनी तरफ से ओम् मेहता हिम्मत के साथ कह दें। अपनी बात का अनादर मत कीजिये।

श्री ओम् मेहता : वह गैर-सरकारी दिन है। चलने दीजिये।

श्री राजनारायण : वह दूसरे सप्ताह में आ जायेगा।

श्री ओम् मेहता : वह अपने सप्ताह में दुबारा कैसे आ जायेगा?

श्री राजनारायण : न आये। छोड़िये इसको

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Let us close this subject now.

THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMDT.) BILL, 1974—Conti.

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी जो विधेयक सदन के सामने है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। अभी मैंने विरोधी पक्ष के दोनों नेताओं के भाषण